बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–24/2015 322 पटना, दिनांक: 20.09.18

कार्यालय आदेश

श्री शम्भू सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दावथ (रोहतास) संप्रति प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, अधौरा प्रखंड, कैमूर(भभुआ) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक– 31(मु०)/आ० दिनांक–22.04.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक मे निदेशालय के का०आ०सं०–126 सहपठित ज्ञापांक –744 दिनांक–16.06.2015 द्वारा श्री शम्भू सिंह पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्राक– 07(मु०)/वि०जॉ० दिनांक–15.05.2017 द्वारा श्री शम्भू सिंह के विरूद्ध संचालित कार्यवाही मे संचालन पदाधिकारी ने श्री सिंह द्वारा अपने बचाव में दाखिल किये गये स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं साक्ष्य के अवलोकनोपरांत निष्कर्ष दिया है कि

i. उक्त क्रय केन्द्र पर इनके द्वारा 13068.00 क्विंटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसमें से 12240.75 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 827.25 क्विटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भंडारित था। विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की निलामी की गई। निलामी के पश्चात् निलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया, परन्तु उक्त क्रय केन्द्र पर गेहूँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण निलामीकर्त्ता द्वारा गेहूँ का उठाव नहीं किया गया।

क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते अधिप्राप्त अवशेष गेहूँ की सुरक्षा के लिए इनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, परन्तु इन्होंने इसका निर्वहन नहीं किया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन्होंने जानबूझकर निजी लाभ के लिए 827.25 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्विंटल 1426.04 रूपया की दर से कुल 1179691.59 रूपया होता है, बिक्री कर दी गयी या गायब कर दिया गया । इसके लिए श्री सिंह दोषी हैं ।

ii. खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2013–14 में इनकी प्रतिनियुक्ति राज्य खाद्य निगम के सुर्यपूरा क्रय केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में की गयी थी। उक्त क्रय केन्द्र पर इनके द्वारा 3695.80 एम०टी० धान की अधिप्राप्ति की गई थी। अधिप्राप्त धान में से मिलर्स को निर्गत करने के पश्चात् 282.24 एम०टी० धान गोदाम में अवशेष था। वरीय पदाधिकारी, सूर्यपुरा प्रखंड के द्वारा भौतिक सत्यापन के क्रम में 250.00 एम०टी धान उपलब्ध पाया गया तथा शेष 32.24 एम०टी० धान उपलब्ध नहीं पाया गया।

इस संबंध में जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के आदेश ज्ञापांक–837/आ०, दिनांक– 11.04.2015 से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी, परन्तु इनके द्वारा उसका जबाव नहीं दिया गया। इस तरह उनके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन्होंने जानबूझकर निजी लाभ के लिए 32.24एम०टी० धान, जिसका मूल्य कुल 535388.78 रूपया होता है बिक्री कर दी या गायब कर दिया, इसके लिए श्री सिंह दोषी हैं।

iii. खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में राज्य खाद्य निगम के दावथ क्रय केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में इनकी प्रतिनियुक्ति की गई थी। उक्त क्रय केन्द्र पर कुल 5578.72एम०टी०धान की अधिप्राप्ति की गई थी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदनानुसार उक्त क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्त धान मिलर्स को निर्गत करने के पश्चात् 376.72 एम०टी० धान अवशेष था, जिसे विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में अवशेष धान की निलामी किया जाना था । वरीय पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन में उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में अवशेष मात्रा के अनुरूप धान उपलब्ध नहीं पाया गया।

इसके संबंध में श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया। इनके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन्होंने जानबूझकर निजी लाभ के लिए 376.72 एम०टी० धान जिसका मूल्य 5465925.41 रूपया होता है, बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया।

मंतव्य :– इस तरह श्री शम्भू सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दावथ संप्रति अधौरा, (कैमूर) पर प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप क्रमांक 1, 2 एव 3 सत्य प्रमाणित होता है। ''

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री शम्भू सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री शम्भू सिंह ने यह उल्लेख किया है कि (1) धान के चारों ओर पानी /नमी थी, इसलिए धान बर्बाद होना स्वभाविक है। (2) गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया था। अतः वे किसी प्रकार से दोषी नहीं हैं। (3) ऐसा प्रतीत होता है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा उच्चाधिकारियों को बचाने के नियत से सारा दोष उन पर मढ़ा गया है।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में दिया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. अपने अभ्यावेदन में श्री शम्भू सिंह द्वारा अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास किया गया है। इनके अभ्योवदन में वर्णित यह तथ्य कि धान के चारों ओर पानी/नमी थी, इसलिए धान बर्बाद होना स्वभाविक है तथा गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया था, को संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है। इन्होंने अपने जिम्मेवारी का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया जिसके चलते सरकार को आर्थिक क्षति हुई। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री शम्भु सिंह के द्वारा जानबूझकर निजी लाभ के लिए 827.25 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य 1179691.59 रूपये (ग्यारह लाख उनासी हजार छः सौ इक्यानवे रूपये उन्सठ पैसे) एवं 408.96 एम०टी० धान जिसका मूल्य 6001314.19रूपये (साठ लाख एक हजार तीन सौ चौदह रूपया उन्नीस पैसे) बिक्री कर दी गयी या गायब कर दिया गया। इस प्रकार सभी कुल 7181005.78 रूपये (एकहत्तर लाख ईकासी हजार पॉच रूपये अठहतर पैसे) का सरकारी राजस्व की क्षति/गबन करने का आरोप इनपर प्रमाणित होता है। यह राशि श्री शम्भु सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से वसूलनीय है जिसकी वसूली हेतु संबंधित विभाग यथा– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंधित पदाधिकारी समुचित कार्रवाई जिला पदाधिकारी, रोहतास से समन्वय स्थापित कर करेंगे।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शम्भु सिंह पर संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धि रोकने. का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

(05)

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री शम्भु सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दावथ, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अधौरा प्रखंड, कैमूर (भभुआ) पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/वि०3–24/2015 1922 पटना, दिनांक : 20.09.18

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को उनके पत्रांक 31(मु०)/आ० दिनांक–22.04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3 जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4 जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अधौरा प्रखंड, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री शम्भु सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दावथ (रोहतास) संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अधौरा प्रखंड, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9

निदेशक